

प्रथम पत्र

अंचल अधिकारी का कार्यालय, कसमार

अनुसूची 10 - फारम सं0 562।




आदेश - पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक/ता0.....सेतक

जिला-- बोकारो, विविध वाद सं0 ...06.....सन् 2022-23

कस का प्रकार - विविध वाद क तहत ऑनलाईन पंजी 2 में प्रविष्टि।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
07.02.2023	<p>आवेदक श्री दिनेश्वर प्रसाद भगत, पिता स्व0 अर्जून लाल भगत, ग्राम-खैराचातर, पंचायत- खैराचातर, थाना-कसमार, जिला- बोकारो के द्वारा आवेदन ऑनलाईन पंजी 2 पर प्रविष्टि करने हेतु दिया गया है, जिसकी मौजा सिंहपुर, थाना संख्या 140, खाता संख्या 139, प्लॉट संख्या 647, 651 कुल रकवा 0.85 ए0 वर्णित हैं। इसकी प्रविष्टि झारभूमि पोर्टल पर ऑनलाईन नहीं हैं। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन मांगे।</p> <p>लेखापित  अंचल अधिकारी कसमार।</p> <p>अंचल अधिकारी कसमार। 7.2.2023</p>	2
17.02.2023	<p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से प्राप्त आवेदन की जांच कराई गई, जांचोपरान्त प्रतिवेदित है कि आवेदित भूमि रैयती खाते की हैं। जिसकी जमाबंदी हल्का पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 89A/II में चल रही हैं। जिसमें भूमि विक्री के पश्चात रकवा 0.85 ए0 शेष बची हैं, ऑनलाईन पंजी 2 में दर्ज नहीं हैं। आवेदक शेष भूमि पर दखलकार हैं। अतः आवेदित भूमि का ऑनलाईन किया जा सकता है।</p> <p>संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं मैनुअल पंजी 2 के आधार पर मौजा सिंहपुर, थाना संख्या 140, खाता संख्या 139, प्लॉट संख्या 647, 651 कुल रकवा 0.85 ए0 की ऑनलाईन पंजी 2 में प्रविष्टि करने की स्वीकृति दी जाती हैं।</p> <p>लेखापित  अंचल अधिकारी कसमार।</p> <p>अंचल अधिकारी कसमार। 17.2.2023</p>	3
24.02.2023	<p>अभिलेख उपस्थापित। झारभूमि पोर्टल पर उक्त आवेदन में वर्णित खाता/प्लॉट के भूमि की ऑनलाईन प्रविष्टि कर दी गई हैं। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं।</p> <p>लेखापित  अंचल अधिकारी कसमार।</p> <p>अंचल अधिकारी कसमार। 24.2.2023</p>	